

16/4/25

पत्र (वर्ली) काज पेश हुई। गर्धी व इनके वकील
क्षिन्। मूल वाड का निस्तारण हो चुका है। मूल वाड
का निस्तारण होने से गर्धना पत्र क्षिन्ग से चलाये
जाने का कोई औचित्य नहीं होने से मूल वाड के
साथ-साथ गर्धना पत्र इसी स्तर पर खारिज किया
जाता है। पत्र (वर्ली) के तल शुमार होकर बाजिले
सातर हो एकर नम्बर से कम हो।



सहायक कलाक्टर
(SDO) चौहटन